आर.एन.आर.

हेमन्त गुप्ता और कंवलजीत सिंह अहलूवालिया, न्यायमूर्ति, *के समक्ष*

केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़,-याचिकाकर्ता

बनाम

स्थायी लोक अदालत और एक अन्य,-प्रतिवादी

सी.डब्ल्यू.पी.नं. 2008 का 181

18 सितंबर 2008

भारत का संविधान, 1950-कला. 39-ए और 226-विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987-एस। 22-स्थायी लोक अदालत का क्षेत्राधिकार-स्थायी लोक अदालत औद्योगिक भूखंड के मालिक के रूप में नाम शामिल करने का आदेश देती है-भूखंड के स्वामित्व के संबंध में विवाद-सिविल न्यायालय पार्टियों के पक्ष और विपक्ष में कई डिक्री पारित करते हैं-स्थायी लोक अदालत सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के संबंध में क्षेत्राधिकार रखते हैं-सार्वजनिक उपयोगिता सेवा में संपत्ति विवाद शामिल नहीं हैं - संपत्ति के स्वामित्व के संबंध में विवाद स्थायी लोक अदालत के दायरे से बाहर है - स्थायी लोक अदालत द्वारा पारित आदेश को उचित मंच से उपचार लेने की स्वतंत्रता देते हुए रद्द कर दिया गया है।

अभिनिर्धारित किया गया कि यह अधिनियम न्यायालय के बाहर सुलह की भावना से विवादों को सुलझाने के लिए एक वैकल्पिक विवाद समाधान के रूप में अधिनियमित किया गया है। अध्याय V। ए को इस उद्देश्य से पेश किया गया है कि यद्यपि लोक अदालत की प्रणाली मुख्य रूप से पार्टियों के बीच समझौते या समझौते पर आधारित है, लेकिन यदि पक्ष समझौता या समझौते पर नहीं पहुंचते हैं, तो मामला या तो कानून की अदालत में वापस कर दिया जाता है या पार्टियों को सलाह दी जाती है कि वे अदालत में उपाय तलाशें। न्याय प्रदान करने में अनावश्यक देरी से बचने के लिए, लोक अदालतों को मामलों को योग्यता के आधार पर तय करने की शक्ति भी दी गई। इसके अलावा, सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के मामलों को तत्काल निपटाए जाने की आवश्यकता है ताकि लोगों को न्याय मिल सके और अधिकांश छोटे मामले जो नियमित अदालतों में नहीं जाने चाहिए, वे मुकदमे-पूर्व चरण में ही निपटाए जा सकें। इसलिए, स्थायी लोक अदालत को हालांकि मामलों को योग्यता के आधार पर तय करने की शक्ति है, लेकिन ऐसा निर्णय पूर्व-मुकदमेबाजी चरण में होता है और जहां दावा की गई राहत तत्काल और छोटे मामलों में होती है।

(पैरा 9)

इसके अलावा, यह माना जाता है कि यह एक ऐसा मामला है जहां पार्टियों के पक्ष और विपक्ष में कई सिविल कोर्ट के फैसले हैं। डिक्री को उन पक्षों पर बाध्यकारी नहीं कहा जा सकता जो न्यायालय के समक्ष नहीं हैं। ऐसे विवादों का निर्णय स्थायी लोक अदालत द्वारा किये जाने का इरादा नहीं है। स्थायी लोक अदालतें वैकल्पिक अदालतें नहीं हैं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में सार्वजनिक उपयोगिता सेवा से निपटने वाले अधिकारियों की निष्क्रियता या गलत कार्रवाई के खिलाफ पीड़ित नागरिकों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए स्थापित की गई हैं। वर्तमान विवाद स्थायी लोक अदालतों के दायरे से बाहर है।

(पैरा'9)

केके गुप्ता, याचिकाकर्ता के वकील।

एस.एस. बैंस, प्रतिवादियों के वकील।

हेमन्त गुप्ता, न्यायमूर्ति,

(1) वर्तमान रिट याचिका में चुनौती स्थायी लोक अदालत (सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के लिए), केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ द्वारा पारित आदेश को लेकर है, जिसके तहत याचिकाकर्ता को औद्योगिक के मालिक के रूप में प्रतिवादी नंबर 2 का नाम शामिल करने का निर्देश दिया गया था। प्लॉट नंबर 220, औद्योगिक क्षेत्र, चरण-1, चंडीगढ़।

(2) वर्तमान रिट याचिका को जन्म देने वाले संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि औद्योगिक प्लॉट नंबर 220, औद्योगिक क्षेत्र, चरण -1, चंडीगढ़, साझेदारी फर्म, अर्थात् मैसर्स एशले रेडियो सर्विस के नाम पर आवंटित किया गया था, जिसके दो साझेदार थे। अर्थात्, प्रताप सिंह, पुत्र संत सिंह और उज्ज्वल सिंह, पुत्र प्रताप सिंह, आवंटन पत्र, दिनांक 4 फरवरी, 1967 के माध्यम से। इसके संबंध में विविध मुकदमेबाजी चल रही है। सिविल न्यायालय के समक्ष उपरोक्त संपत्ति और किसी न किसी स्तर पर पाँच डिक्री पारित की गई हैं। पहला डिक्री दिनांक 2 मई, 1983 का है, जिसके तहत प्रताप सिंह, जिनकी मृत्यु 2 अप्रैल, 1978 को हुई थी, और उज्ज्वल सिंह, जिनकी मृत्यु 6 दिसंबर, 1976 को हुई थी, की संपत्ति के संबंध में, मृतक उज्ज्वल सिंह के सभी कानूनी उत्तराधिकारी पाए गए। संपत्ति का हकदार हो. ऐसी डिक्री को याचिकाकर्ता द्वारा 28 नवंबर, 1983 को प्रभावी किया गया था।

(3) प्रतिवादी नंबर 2 बलवंत सिंह ने 11 अप्रैल, 1969 को बेचने के समझौते के आधार पर भूखंड के मालिकाना हक का दावा करते हुए एक अलग मुकदमा (सिविल सूट नंबर 179/1986) दायर किया। उक्त मुकदमे का फैसला 15 जनवरी को हुआ था। 1993. 13 फरवरी, 1986 को सुरिंदर कौर, पत्नी स्वर्गीय उज्ज्वल सिंह ने भूपिंदर सिंह के पक्ष में प्लॉट का 1/2 हिस्सा बेच दिया। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर, भूपिंदर सिंह ने उक्त भूखंड पर स्वामित्व का दावा करते हुए एक मुकदमा (सिविल सूट नंबर 221/1990) दायर किया। उक्त मुकदमा 7 फरवरी, 1990 को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि संपत्ति कार्यालय से अनुमति के अभाव के कारण बिक्री विलेख अमान्य है। विभाजन के लिए एक और मुकदमा (सिविल सूट नंबर 282/1988) भूपिंदर सिंह द्वारा दायर किया गया था। उक्त मुकदमा 15 जून, 1999 को खारिज

कर दिया गया। उक्त फैसले और डिक्री के खिलाफ अपील भी 10 अप्रैल, 2004 को खारिज कर दी गई।

(4) बलवंत सिंह द्वारा दायर मुकदमे में फैसले और डिक्री के अवलोकन से पता चलता है कि भूपिंदर सिंह को उपरोक्त सिविल मुकदमे में पक्षकार नहीं बनाया गया था, हालांकि संपत्ति उज्जल सिंह के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा बेची गई थी, - पंजीकृत वीडियो के अनुसार विक्रय विलेख, दिनांक 13 फरवरी, 1986। ऐसा प्रतीत होता है कि भूपिंदर सिंह के पक्ष में विक्रय विलेख के निष्पादन के बाद 5 मार्च, 1986 को मुकदमा दायर किया गया था। इसी प्रकार, 29 मार्च, 1990 को भूपिंदर सिंह द्वारा दायर एक मुकदमे में, बलवंत सिंह को एक पक्ष के रूप में शामिल नहीं किया गया है, हालांकि उन्हें 15 जून, 1999 को तय किए गए विभाजन के मुकदमे में एक पक्ष के रूप में शामिल किया गया है, अनुबंध पी-5।

(5) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया है कि स्थायी लोक अदालतों की स्थापना कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (संक्षेप में "अधिनियम") में शामिल अध्याय VI-ए के अनुसरण में की गई है, - अधिनियम संख्या 37/2000 के तहत प्रभावी 11 जून, 2002। एक या अधिक सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के संबंध में ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए ऐसी स्थायी लोक अदालतें स्थापित की गई हैं। "सार्वजनिक उपयोगिता सेवा" का अर्थ है कोई (i) हवाई, सड़क या पानी द्वारा यात्रियों या माल की ढुलाई के लिए परिवहन सेवा; या (ii) डाक, टेलीग्राफ या टेलीफोन सेवा; या (iii) किसी प्रतिष्ठान द्वारा जनता को बिजली, प्रकाश या पानी की आपूर्ति; या (iv) सार्वजनिक संरक्षण या स्वच्छता की व्यवस्था; या (v) अस्पताल या औषधालय में सेवा; या (vi) बीमा सेवा, और इसमें मेरी सेवा शामिल है जिसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, सार्वजनिक हित में, अधिसूचना द्वारा, इस अध्याय के प्रयोजन के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित करती है। लेकिन ऐसी सार्वजनिक उपयोगिता सेवा में संपत्ति विवाद और अधिकारियों द्वारा रिकॉर्ड का रखरखाव शामिल नहीं है। इसलिए, स्थायी लोक अदालत के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था कि वह प्रतिवादी नंबर 2 के नाम को औद्योगिक भूखंड के मालिक के रूप में शामिल करने का आदेश पारित कर सके। प्रतिवादी के विद्वान वकील ने अधिसूचना, दिनांक 23 अक्टूबर, 2003 पर भरोसा किया है, जिसके तहत चंडीगढ़ प्रशासन ने अधिनियम की धारा 22-ए के खंड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "आवास और संपदा" को सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं घोषित किया है। इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़।

(6) संविधान के अनुच्छेद 39 ए में निहित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अधिनियम को शामिल किया गया था। सरकार ने मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक प्रस्ताव द्वारा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समान आधार पर कानूनी सहायता कार्यक्रमों की निगरानी और कार्यान्वयन के लिए कानूनी सहायता योजना को लागू करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी। इसके बाद, कानूनी सहायता कार्यक्रमों की प्रभावी निगरानी प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर वैधानिक कानूनी प्राधिकरणों का गठन करना वांछनीय माना गया। बड़ी संख्या में मामलों को शीघ्रता से और बिना अधिक लागत के निपटाने के लिए लोक अदालतों का गठन किया गया है जो अपने निर्णयों के लिए किसी वैधानिक समर्थन के बिना

स्वैच्छिक और सुलह एजेंसियों के रूप में कार्य कर रही हैं। हालाँकि, उक्त अधिनियम को वर्ष 2002 में संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया था। 11 मार्च, 2002 को संसद में उक्त विधेयक को पेश करते समय उद्देश्यों और कारणों का विवरण इस प्रकार है: -

> 1. कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 को समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए कानूनी सेवा प्राधिकरणों का गठन करने के लिए अधिनियमित किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक या अन्य विकलांगताओं के कारण किसी भी नागरिक को न्याय हासिल करने के अवसरों से वंचित न किया जाए। और यह सुनिश्चित करने के लिए लोक अदालतों का आयोजन करना कि कानूनी प्रणाली के संचालन से समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा मिले। लोक अदालत की प्रणाली, जो एक अभिनव तंत्र या वैकल्पिक विवाद समाधान है, अदालतों के बाहर सुलह की भावना से विवादों को हल करने के लिए प्रभावी साबित हुई है।
>
> 2. हालाँकि, उक्त अधिनियम के अध्याय VI के तहत लोक अदालतों के आयोजन की मौजूदा योजना में बड़ी खामी यह है कि लोक अदालतों की प्रणाली मुख्य रूप से पार्टियों के बीच समझौते या समझौते पर आधारित है। यदि पक्ष किसी समझौते या समझौते पर नहीं पहुंचते हैं, तो मामला या तो अदालत में वापस कर दिया जाता है या पार्टियों को अदालत में उपाय खोजने की सलाह दी जाती है। इससे न्याय मिलने में अनावश्यक देरी होती है। यदि लोक अदालतों को पार्टियों द्वारा किसी समझौते या समझौते पर पहुंचने में असफल होने पर मामलों को गुण-दोष के आधार पर तय करने की शक्ति दी जाती है, तो इस समस्या से काफी हद तक निपटा जा सकता है। इसके अलावा, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, दिल्ली विद्युत बोर्ड आदि जैसी सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के संबंध में आने वाले मामलों को तत्काल निपटाए जाने की आवश्यकता है ताकि लोगों को मुकदमेबाजी से पहले के चरण में भी बिना देरी के न्याय मिल सके और इस प्रकार अधिकांश छोटे मामले जो मामले नियमित अदालतों में नहीं जाने चाहिए, उन्हें प्रीलिटिगेशन स्थिति में ही निपटाया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप नियमित अदालतों का कार्यभार काफी हद तक कम हो जाएगा। इसलिए, सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित मामलों के सुलह और निपटान के लिए अनिवार्य पूर्व-मुकदमेबाजी तंत्र प्रदान करने के लिए स्थायी लोक अदालतों की स्थापना के लिए कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 में संशोधन करने का प्रस्ताव है।

(7) इसके बाद, अधिनियम में संशोधन किया गया, - अधिनियम संख्या 37 ओ एफ2002 के तहत अध्याय VIA सम्मिलित करके। संशोधित अधिनियम के कुछ प्रावधान, जो प्रासंगिक हैं, इस प्रकार पढ़ें:-

"2. परिभाषाएँ: (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(ए) "मामले" में अदालत के समक्ष मुकदमा या कोई कार्यवाही शामिल है;

(एएए) "न्यायालय" का अर्थ एक नागरिक, आपराधिक या राजस्व न्यायालय है और इसमें न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्यों को करने के लिए किसी भी समय लागू किसी भी कानून के तहत गठित कोई न्यायाधिकरण या कोई अन्य प्राधिकरण शामिल है।

22ए. परिभाषाएँ:—इस अध्याय में और धारा 22 और 23 के प्रयोजन के लिए, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(ए) "स्थायी लोक अदालत" का अर्थ धारा 22बी की उपधारा (1) के तहत स्थापित स्थायी लोक अदालत है।

(बी) "सार्वजनिक उपयोगिता सेवा" का अर्थ है कोई भी -

(i) हवाई, सड़क या जल मार्ग से यात्रियों या माल की ढुलाई के लिए परिवहन सेवा; या

(ii) डाक, टेलीग्राफ या टेलीफोन सेवा; या

(iii) किसी प्रतिष्ठान द्वारा जनता को बिजली, प्रकाश या पानी की आपूर्ति; या

(iv) सार्वजनिक संरक्षण या स्वच्छता की व्यवस्था; या

(v) अस्पताल या औषधालय में सेवा; या

(vi) बीमा सेवा,

और इसमें कोई भी सेवा शामिल है जिसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, सार्वजनिक हित में, अधिसूचना द्वारा, इस अध्याय के प्रयोजन के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित करती है।

22बी. स्थायी लोक अदालतों की स्थापना. - (1) धारा 19 में किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय प्राधिकरण या, जैसा भी मामला हो, प्रत्येक राज्य प्राधिकरण, अधिसूचना द्वारा, ऐसे स्थानों पर स्थायी लोक अदालतें स्थापित करेगा और ऐसे कार्य करेगा। एक या अधिक सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के संबंध में और ऐसे क्षेत्रों के लिए क्षेत्राधिकार, जो अधिसूचना में निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

(2) उप-धारा (1) के तहत अधिसूचित क्षेत्र के लिए स्थापित प्रत्येक स्थायी लोक अदालत में f- xx xx xx xx शामिल होगा।

22सी. स्थायी लोक अदालत द्वारा मामलों का संज्ञान- (1) विवाद का कोई भी पक्ष, किसी भी अदालत के समक्ष विवाद लाने से पहले, विवाद के निपटारे के लिए स्थायी लोक अदालत में आवेदन कर सकता है:

बशर्ते कि स्थायी लोक अदालत को किसी ऐसे अपराध से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में अधिकार क्षेत्र नहीं होगा जो किसी कानून के तहत समझौता योग्य नहीं है:

बशर्ते कि स्थायी लोक अदालत को उस मामले में भी अधिकार क्षेत्र नहीं होगा जहां विवाद में संपत्ति का मूल्य दस लाख रुपये से अधिक है:

बशर्ते कि केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, केंद्रीय प्राधिकरण के परामर्श से दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट दस लाख रुपये की सीमा को बढ़ा सकती है।

(2) स्थायी लोक अदालत में उप-धारा (1) के तहत एक आवेदन किए जाने के बाद, उस आवेदन का कोई भी पक्ष उसी विवाद में किसी भी अदालत के अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं करेगा।

(3) जहां उपधारा (1) के तहत स्थायी लोक अदालत में आवेदन किया जाता है, वहां-

(ए) आवेदन के प्रत्येक पक्ष को अपने समक्ष एक लिखित बयान दाखिल करने का निर्देश देगा, जिसमें आवेदन के तहत विवाद के तथ्य और प्रकृति, ऐसे विवाद में मुद्दे और ऐसे मुद्दों के समर्थन में या ऐसे बिंदुओं के विरोध में आधार का उल्लेख होगा। जैसा भी मामला हो, मुद्दे, और ऐसी पार्टी ऐसे बयान को किसी भी दस्तावेज़ और अन्य साक्ष्य के साथ पूरक कर सकती है जिसे ऐसी पार्टी ऐसे तथ्यों और आधारों के सबूत में उचित समझती है और ऐसे दस्तावेज़ की एक प्रति और अन्य के साथ ऐसे बयान की एक प्रति भेजेगी। आवेदन के प्रत्येक पक्ष के लिए साक्ष्य, यदि कोई हो;

(बी) आवेदन के किसी भी पक्ष को सुलह कार्यवाही के किसी भी चरण में उसके समक्ष अतिरिक्त बयान दाखिल करने की आवश्यकता हो सकती है;

(सी) आवेदन के किसी भी पक्ष से प्राप्त किसी दस्तावेज़ या बयान को दूसरे पक्ष को सूचित करेगा, ताकि ऐसा दूसरा पक्ष उसका उत्तर प्रस्तुत करने में सक्षम हो सके।

(4) जब स्थायी लोक अदालत की संतुष्टि के लिए बयान, अतिरिक्त बयान और उत्तर, यदि कोई हो, उप-धारा (3) के तहत दायर किया गया है, तो वह आवेदन के पक्षकारों के बीच सुलह की कार्यवाही इस तरह से करेगा। विवाद की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित समझता है।

(5) स्थायी लोक अदालत, उप-धारा (4) के तहत सुलह कार्यवाही के संचालन के दौरान, स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचने के प्रयास में पार्टियों की सहायता करेगी, (जोर दिया गया)

(6) आवेदन के प्रत्येक पक्ष का यह कर्तव्य होगा कि वह आवेदन से संबंधित विवाद के समाधान में स्थायी लोक अदालत के साथ सद्भावनापूर्वक सहयोग करे और साक्ष्य और अन्य प्रस्तुत करने के लिए स्थायी लोक अदालत के निर्देश का अनुपालन करे। इससे पहले संबंधित दस्तावेज.

(7) जब उपरोक्त सुलह कार्यवाही में एक स्थायी लोक अदालत की राय हो कि ऐसी कार्यवाहियों में समझौते के तत्व मौजूद हैं जो पार्टियों को स्वीकार्य हो सकते हैं, तो वह विवाद के संभावित समाधान की शर्तें तैयार कर सकता है और दे सकता है। संबंधित पक्ष अपनी टिप्पणियों के लिए और यदि पक्ष विवाद के निपटारे पर किसी समझौते पर पहुंचते हैं, तो वे निपटान समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे और स्थायी लोक अदालत उसके संदर्भ में कोई भी पुरस्कार पारित करेगी और प्रत्येक को उसकी एक प्रति प्रस्तुत करेगी। संबंधित पक्ष.

(8) जहां पार्टियां उपधारा (7) के तहत एक समझौते पर पहुंचने में विफल रहती हैं, स्थायी लोक अदालत, यदि विवाद किसी अपराध से संबंधित नहीं है, तो विवाद का फैसला करेगी।

22डी. स्थायी लोक अदालत की प्रक्रिया.- स्थायी लोक अदालत, इस अधिनियम के तहत सुलह कार्यवाही का संचालन करते समय या योग्यता के आधार पर विवाद का निर्णय करते समय, प्राकृतिक न्याय, निष्पक्षता, निष्पक्षता, समानता और न्याय के अन्य सिद्धांतों के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगी, और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) द्वारा बाध्य नहीं होगा।

(8) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया है कि स्वामित्व से संबंधित विवादों पर स्थायी लोक अदालतों द्वारा निर्णय लेने पर विचार नहीं किया गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 3 9-ए को ध्यान में रखते हुए गठित की गई हैं। स्थायी लोक अदालतों के पास सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के संबंध में अधिकार क्षेत्र है, यानी, ऐसी सेवाएं जो एक नागरिक अपने जीवन के सामान्य दैनिक कामकाज में प्राप्त करता है, लेकिन इसमें विवादास्पद मुद्दे शामिल नहीं हैं, जिन पर अकेले सिविल कोर्ट द्वारा निर्णय लिया जाना है, यह तर्क दिया गया है हालांकि आवास और सम्पदा एक सार्वजनिक उपयोगिता सेवा है, लेकिन यह आवास परियोजनाओं के संबंध में नागरिकों की दिन-प्रतिदिन की शिकायतों के संबंध में है, जबकि वर्तमान मामले में, स्थायी लोक अदालत ने संपत्ति के स्वामित्व के संबंध में क्षेत्राधिकार ग्रहण कर लिया है। ऐसे विवादों का निपटारा संक्षेप में नहीं किया जा सकता। स्थायी लोक अदालत का उद्देश्य सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचने के लिए कार्यवाही संचालित करना है। उप-धारा (8) के तहत विवाद का निर्णय करने की शक्ति पूर्ण शक्ति नहीं है, बल्कि धारा 22सी के पूर्ववर्ती प्रावधान से अपना रंग लेगी। यह भी तर्क दिया गया है कि स्थायी लोक अदालत को केवल प्रीलिटिगेशन चरण में ही विवाद पर विचार करने का अधिकार है।

(9) यह अधिनियम न्यायालय के बाहर सुलह की भावना से विवादों को सुलझाने के लिए एक वैकल्पिक विवाद समाधान के रूप में अधिनियमित किया गया है। अध्याय VIA को इस उद्देश्य से पेश किया गया है कि यद्यपि लोक अदालत की प्रणाली मुख्य रूप से पार्टियों के बीच समझौते

या समझौते पर आधारित है, लेकिन यदि पक्ष समझौता या समझौते पर नहीं पहुंचते हैं, तो मामला या तो कानून की अदालत या पार्टियों को वापस कर दिया जाता है। कानून की अदालत में उपाय खोजने की सलाह दी जाती है। न्याय प्रदान करने में अनावश्यक देरी से बचने के लिए, लोक अदालतों को मामलों को योग्यता के आधार पर तय करने की शक्ति भी दी गई। इसके अलावा, सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के मामलों को तत्काल निपटाए जाने की आवश्यकता है ताकि लोगों को न्याय मिल सके और अधिकांश छोटे मामले जो नियमित अदालतों में नहीं जाने चाहिए, वे मुकदमे-पूर्व चरण में ही निपटाए जा सकें। इसलिए, स्थायी लोक अदालत को हालांकि मामलों को योग्यता के आधार पर तय करने की शक्ति है, लेकिन ऐसा निर्णय पूर्व-मुकदमेबाजी चरण में होता है और जहां दावा की गई राहत तत्काल और छोटे मामलों में होती है। उपरोक्त सिद्धांत के संदर्भ में, वर्तमान में एक ऐसा मामला है जहां पार्टियों के पक्ष और विपक्ष में कई सिविल कोर्ट के फैसले हैं। डिक्री को उन पक्षों पर बाध्यकारी नहीं कहा जा सकता जो न्यायालय के समक्ष नहीं हैं। ऐसे विवादों का निर्णय स्थायी लोक अदालत द्वारा किये जाने का इरादा नहीं है। स्थायी लोक अदालतें वैकल्पिक अदालतें नहीं हैं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में सार्वजनिक उपयोगिता सेवा से निपटने वाले अधिकारियों की गलत कार्रवाई की निष्क्रियता के खिलाफ पीड़ित नागरिकों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए स्थापित की गई हैं। वर्तमान विवाद स्थायी लोक अदालतों के दायरे से बाहर है।

(10) परिणामस्वरूप, 22 जून 2006 को स्थायी लोक अदालत द्वारा पारित आदेश, परिशिष्ट पी-9, खारिज किया जाता है। स्थायी लोक अदालत के समक्ष दायर आवेदन को प्रतिवादी नंबर 2 को उचित मंच से अपना उपचार लेने की छूट देते हुए खारिज कर दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए हैताकि वह अपनी भाषा में इसेसमझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

शैली नैन,

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,

पानीपत, हरियाणा